राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या–455/2013/जयपुर

रामपाल पुत्र लालचंद जाति मीणा निवासी ग्राम माचडा ऊँची कोसी अनोखा होटल के पीछे तहसील आमेर जिला जयपुर

...प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप–पंजीयक तृतीय, जयपुर
2. जोधा पुत्र काना
3. सांवता पुत्र काना
4. कैलाशचंद पुत्र मंगला
5. सीताराम पुत्र मंगला
6. रामचन्द्र पुत्र मंगला
7. श्रीमती सरजु देवी पत्नी मंगला
8. शान्ति देवी पत्नी काल्या उर्फ कालुराम

समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम मांचडा तहसील आमेर जिला जयपुर
(अप्रार्थी संख्या 2 से 8 के नाम तर्क किये गये)

...अप्रार्थीगण

एकलपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री रोड़मल
अभिभाषक ....प्रार्थी की ओर से

श्री अनिल पोखरणा
उप–राजकीय अभिभाषक ....अप्रार्थी सं. 1 की ओर से

निर्णय दिनांक : 13.10.2017

निर्णय

1. यह निगरानी प्रार्थी द्वारा विद्वान कलक्टर (मुद्रांक) जयपुर (जिसे आगे **'कलक्टर'** कहा गया है) के आदेश दिनांक 20.06.2011 प्रकरण संख्या 676/2010 के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे **'मुद्रांक अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने उप–पंजीयक जयपुर, द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स को स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि उप–पंजीयक जयपुर तृतीय के कार्यालय में श्री जोधा द्वारा अप्रार्थी के हक में पंजीबद्ध दस्तावेज संख्या 386/10 दिनांक 16.02.2010 का बाजार मूल्य 79,80,000/– रूपये मानते हुए उस पर कमी मुद्रांक कर 331720/– रूपये एवं कमी पंजीयन शुल्क 11540/– रूपये कुल 343260/– रूपये मय शास्ति वसूली हेतु प्रकरण राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की धारा 51 के तहत उप–पंजीयक ने प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया।

लगातार.........2

अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निगरानीधीन निर्णय दिनांक 20.06.2011 द्वारा रेफरेन्स के अनुसार मूल्यांकन 7980000/– उचित मानते हुए प्रार्थी द्वारा पूर्व में अदा किये गये मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क को कम करने पर शेष कमी मुद्रांक कर 3,31,720/– रूपये एवं कमी पंजीयन शुल्क 11540/– रूपये एवं शास्ति 326/– रूपये कुल 340000/– अक्षरे तीन लाख चालीस हजार रूपये मात्र वसूल किये जाने का एकपक्षीय आदेश पारित किया जिसके विरूद्ध प्रार्थी द्वारा यह निगरानी कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत हुई है।

3. निगरानी दर्ज की जाकर रिकार्ड व अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से उपराजकीय अभिभाषक उपस्थित आये। अप्रार्थी संख्या 2 से 8 का नाम निगरानीकर्ता के निवेदन पर इस आधार पर तर्क किया गया कि अप्रार्थीगण 2 से 8 विक्रेतागण है तथा मुद्रांक कर की देयता प्रार्थी क्रेता की है जिस पर उप–राजकीय अभिभाषक की ओर से कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गई।

4. बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

5. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की ओर से कथन किया गया कि उन्हें सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किये बिना एकपक्षीय निर्णय पारित किया है जो विधिसम्मत नही है। दस्तावेज से संबंधित संपत्ति कृषि भूमि है जबकि उसका मूल्यांकन आवासीय दर से बिना कोई आधार या साक्ष्य के किया गया है। संपत्ति का मौके पर उपयोग कृषि भूमि के रूप में ही हो रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेफरेन्स के तथ्यों के संबंध में राजस्थान मुद्रांक नियम 2004 के नियम 65 के अन्तर्गत कोई जांच नही की है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय Non Speaking एवं Non Reasoned है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नही है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर रेफरेन्स खारिज किया जावे।

6. विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है, अतः निगरानी खारिज की जावे।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–

8. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र सशपथ होने, निर्णय गुणावगुण के आधार पर श्रेयस्कर होने की दृष्टिगत स्वीकार किया जाकर निगरानी अन्दर मियाद मानी जाती है।

२४ –

लगातार.........3

9. निगरानी में निगरानीकर्ता का मुख्य आधार यह है कि उन्हें सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किये बिना एकपक्षीय निर्णय पारित किया है जो विधिसम्मत नही है। दस्तावेज से संबंधित संपत्ति कृषि भूमि है जबकि उसका मूल्यांकन आवासीय दर से बिना कोई आधार या साक्ष्य के किया गया है। संपत्ति का मौके पर उपयोग कृषि भूमि के रूप में ही हो रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेफरेन्स के तथ्यों के संबंध में राजस्थान मुद्रांक नियम 2004 के नियम 65 के अन्तर्गत कोई जांच नही की है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय Non Speaking एवं Non Reasoned है। कलक्टर (मुद्रांक) उदयपुर के निगरानीधीन आदेशों के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि कलक्टर (मुद्रांक) ने रेफरेन्स के तथ्यों का विवेचन किये बिना विवादित आदेश पारित किया है, जिसे न्याय संगत आदेश नहीं कहा जा सकता है। पीठासीन अधिकारी का दायित्व बनता है कि उसके समक्ष प्रस्तुत प्रकरण में उठाये गये बिन्दुओं की विवेचना करने के उपरान्त ही उन्हें मानने या न मानने पर तथ्यों पर आधारित अपना मत प्रकट करते, जिससे अधीनस्थ न्यायालय के आदेश/निर्णय के विरूद्ध अपील होने पर सम्बन्धित न्यायालय अपना निर्णय पारित करें कि अवर अधिकारी का निर्णय न्याय संगत है अथवा नहीं किन्तु प्रस्तुत निगरानी में कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा ऐसा नहीं किया गया, जिसे उचित नहीं कहा जा सकता। पीठासीन अधिकारी का दायित्व बनता है कि वह सचेतन मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए निष्पक्ष अभिव्यक्ति दें। प्रार्थी निगरानीकार के विद्वान अभिभाषक द्वारा उद्धृत माननीय उच्चतम न्यायालय की खण्डपीठ के सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, वर्क्स कान्ट्रेक्ट एवं लीजिंग टैक्स,कोटा बनाम मैसर्स शुक्ला एड ब्रदर्स (Civil Appeal No. Nil of 2010/S.L.P.(C)No. 16466 of 2009), date 15.4.2010) में पारित किय गये निर्णय के कुछ अंश उद्धृत किया जाना उक्त परिप्रेक्ष्य में समीचीन होगा :–

".... To subserve the purpose of justice delivery system therefore, it is essential that the Courts should record reasons for its conclusions whether disposing of the case at admission stage or after regualr hearing."

"A litigant has legitimate expectatoion of knowing reasons for rejection of his claim/payer. It is then alone, that a party would be in a position to challenge the order on appropriate grounds. As arguments bring things hidden and obscure to the light of reasons, reasoned judgment where the law and factual matrix of the case it discussed provided lucidity and foundation for conclusions or exercise of judicial discretation by the Courts. Reason is the very life of law. When the reason of a law once ceases, the law itself generally cease. Such is the signifucance of reasoning in any rule of law.

लगातार..........4

Giving reasons furthers the cause of justice as well as avoids uncertainty. As a matter of fact it helps in the observance of law of precedent . Absence of reasons on the contrary essentially introduces an element of uncertainty, dissatisfaction and give entirely different dimensions to the questions of law raised before the higher appellate Courts. When reasons are announced and can be weighed, the public can have assurance that process of corection is in place and working. It is requirement of law that correction process of judgments should not only appeaaar to be implemented but also to have been properly implemented. Reasons for an order would ensure and enhance public confidence and would provide due satisfaction to the consumer of justice under our justice dispensation system." उपरोक्त विधिक प्रावधान में बिना विवेचना एवं विश्लेषण किये पारित निर्णय को विधिसम्मत नही माना है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थन मुद्रांक नियम 2004 के नियम 65 की पालना में बिना कोई जांच आदि किये निर्णय पारित किया है जिससे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नही है।

10. अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि निगरानीधीन निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया हैं तथा यदि प्रकरण में निगरानीधीन आदेश निरस्त किया जाकर प्रतिप्रेषित किया जाता है तो न्यायिक दृष्टिकोण से प्रार्थी को सुनवाई का भी समुचित अवसर मिल सकेगा।

11. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विवेचना–विश्लेषण सहित निर्णय पारित नही करने के कारण विधिसम्मत नही होने के कारण निगरानी आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निगरानीधीन आदेश निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे उभयपक्ष को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुए, राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 2004 के नियम 65 की पालना करते हुए पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए पुनः नियमानुसार एवं विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 18.12.2017 को पेश हों।

12. निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य